भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. *63**

जिसका उत्तर 23.07.2026 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे संबंधी परियोजनाएं**

†*63. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री धर्मबीर सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने वर्ष 2026 के दौरान राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे संबंधी चल रही और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है और इनसे संबंधित कितनी लंबाई के कार्य का ठेका प्रदान किया गया है, कितनी लंबाई का कार्य निर्माणाधीन है और अब तक कितना पूरा किया गया है;

(ग) क्या संशोधित कार्यान्वयन तंत्र अथवा संविदा संबंधी सुधारों के माध्यम से विलंब की स्थिति वाले राजमार्ग, अवसंरचना और एक्सप्रेसवे संबंधी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनने वाले वधावन पत्तन को राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने का है और यदि हां, तो चल रही परियोजनाओं और आगामी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य-वार ऐसे कितने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हुआ है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**"राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे संबंधी परियोजनाएं" के संबंध में डॉ. हेमंत विष्णु सवरा और श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *63 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) सरकार ने राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित चल रहे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए एक ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार किया है। इसमें राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए परियोजना, राज्य और केंद्रीय स्तर पर समीक्षा शामिल है। इसमें परियोजना स्तर पर समस्याओं/बाधाओं/विलंबों की पहचान करने के लिए तकनीकी उपाय भी शामिल है, जिसमें पीएमजी (परियोजना निगरानी समूह) पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली समीक्षाएं भी शामिल हैं।

(ख) देश भर में कुल 10,389 किलोमीटर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ठेके प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 4,809 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है और 5,580 किलोमीटर का निर्माण कार्य जारी है। सौंपी गई लंबाई, निर्माणाधीन, पूर्ण और संचालित किए जा रहे राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ग) सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें "भूमिराशी" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरियां तेजी से प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से "परिवेश" पोर्टल को पुन: तैयार करना, रेलवे से सड़क ऊपरि पुल /सड़क अधो पुल (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) के ऑनलाइन अनुमोदन को सुगम बनाना और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं/अड़चनों की समीक्षा और समाधान के तंत्र का लाभ उठाना शामिल हैं।

(घ) जी, हां। सरकार ने वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे और एनएच-48 (अहमदाबाद-मुंबई खंड) को वधावन बंदरगाह से जोड़ने के लिए 32 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग को ईपीसी मोड पर 4362.39 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी है। कार्य का ठेका दे दिया गया है।

(ड.) कुल 1022 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर को अनुमोदन दे दिया गया है। राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न हैं।

**अनुलग्नक**

**"राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे संबंधी परियोजनाएं" के संबंध में डॉ. हेमंत विष्णु सवरा और श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *63 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**चल रही और पूरी हो चुकी राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण :**

| राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | पूरी की गई लंबाई (किमी) | निर्माणाधीन (किमी) | प्रदान किए गए कुल ठेके (किमी) |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 308 | 585 | 893 |
| असम | 0 | 121 | 121 |
| बिहार | 0 | 589 | 589 |
| छत्तीसगढ | 170 | 303 | 472 |
| दमन, दीव तथा दादरा और नगर हवेली | 0 | 6 | 6 |
| दिल्ली | 100 | 0 | 100 |
| गुजरात | 605 | 160 | 764 |
| हरियाणा | 615 | 223 | 839 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 75 | 75 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 137 | 137 |
| झारखंड | 0 | 235 | 235 |
| कर्नाटक | 314 | 265 | 579 |
| मध्य प्रदेश | 372 | 267 | 639 |
| महाराष्ट्र | 103 | 130 | 233 |
| ओडिशा | 240 | 147 | 387 |
| पुदुचेरी | 0 | 1 | 1 |
| पंजाब | 149 | 774 | 923 |
| राजस्थान | 1,192 | 148 | 1,340 |
| तमिलनाडु | 161 | 200 | 361 |
| तेलंगाना | 56 | 445 | 501 |
| उत्तर प्रदेश | 388 | 496 | 884 |
| उत्तराखंड | 34 | 33 | 67 |
| पश्चिम बंगाल | 0 | 242 | 242 |
| **कुल योग** | **4,809** | **5,580** | **10,389** |

**अनुलग्नक**

**"राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे संबंधी परियोजनाएं" के संबंध में डॉ. हेमंत विष्णु सवरा और श्री धर्मबीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 23.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *63 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**उन अनुमोदित राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विवरण, जिनका ठेका दिया जाना शेष है:**

| क्र.सं. | कॉरिडोर का नाम | राज्य | सौंपे जाने वाली लंबाई (किमी में) |
|---|---|---|---|
| 1 | कानपुर – कबराई | उत्तर प्रदेश | 118 |
| 2 | नासिक – अहमदनगर- सोलापुर-अक्कलकोट | महाराष्ट्र | 374 |
| 3 | नासिक फाटा – खेड | महाराष्ट्र | 30 |
| 4 | पगोटे - चौक | महाराष्ट्र | 29 |
| 5 | थराद-दीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद | गुजरात | 214 |
| 6 | गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर | उत्तर प्रदेश | 46 |
| 7 | वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर | उत्तर प्रदेश | 43 |
| 8 | शिलांग सिलचर कॉरिडोर | असम, मेघालय | 168 |
| **कुल** | | | **1,022** |

*****